रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2857] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 2019/भाद्र 7, 1941
No. 2857] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2019/BHADRA 7, 1941

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2019

का.आ. 3129(अ).—केन्द्रीय सरकार, विमानवहन अधिनियम, 1972 (1972 का 69) की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखडं (ii) में का.आ. संख्यांक 142(अ), तारीख 17 जनवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह निदेश देती है कि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 5 और धारा 4क की उपधारा (1) और उपधारा (4) तथा उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंध उक्त तीसरी अनुसूची में यथा-परिभाषित सभी विमानवहन जो अंतर्राष्ट्रीय विमानवहन नहीं हैं, को निम्नलिखित अपवादों, अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, अर्थात्:-

1. उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,-

(क) शीर्षक के नीचे आने वाले "(धारा 4क देखिए)" कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "(विमानवहन जो अंतर्राष्ट्रीय वहन न हों पर यथा-लागू)" कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) नियम 1 में,-

(i) उपनियम (1) में, "सभी अंतर्राष्ट्रीय वहन" शब्दों के स्थान पर "सभी विमानवहन जो अंतर्राष्ट्रीय वहन नहीं हैं" शब्दों को रखा जाएगा;

(ii) उपनियम (2) का लोप किया जाएगा;

(iii) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) इन नियमों के प्रयोजनार्थ, 'विमानवहन जो अंतर्राष्ट्रीय वहन न हो' किसी ऐसे वहन से अभिप्रेत है जिसमें पक्षकारों के करार के अनुसार प्रस्थान और गंतव्य दोनों स्थान भारत में स्थित हैं और भारत से बाहर विराम स्थान पर कोई सहमति नहीं है।";

(iv) उपनियम (4) में, 'चाहे उसके बारे में एक संविदा' शब्दों से आरंभ होने वाले और 'उसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर किया जाना है' शब्दों से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा।

(ग) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. ये नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे-

(i) संघ की सशस्त्र सेनाओं के प्रयोजनों के लिए कोई वायुयान जो उनका है, या अनन्य रूप से इस हेतु नियोजित है, में विमानवहन के लिए;

(ii) सरकार चाहे वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार हो, द्वारा किया गया है, विमानवहन के लिए;

(iii) डाक के वहन के लिए;

(iv) ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए लगाए गए व्यक्तियों के वायुयान द्वारा वहन के लिए;

(v) भारत सरकार के नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र या कोई क्लब जिसका मुख्य उद्देश्य उड़ान या ग्लाइडिंग में प्रशिक्षण प्रदान करना है, जो उनका है या उनके द्वारा प्रचालित है चाहे ऐसा वायुयान प्रशिक्षण या उससे अन्यथा प्रयोजन के लिएव्यक्तियों के वहन में लगा है, वहन के लिए;

(vi) वायुयान से माल गिराए जाने के प्रयोजन के लिए कार्गो या उसमें लगे हुए व्यक्तियों के वहन के लिए;

(vii) वाहक के कर्मचारियों के लिए, जब वायुयान पर वाहक द्वारा उन्हें सौंपे गए किन्हीं कर्तव्यों के प्रयोजन के लिए उनका वहन किया गया हो।"।

(घ) नियम 3 के उपनियम (1) में खंड (ख) का लोप किया जाएगा ।

(ङ) नियम 5 के खंड (ख) का लोप किया जाएगा ।

(च) नियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"21. (1) नियम 17 के उपनियम (1) के अधीन उद्भूत प्रत्येक यात्री के लिए पच्चीस लाख पचास हजार रुपए से अनधिक की नुकसानियों के लिए, वाहक अपने दायित्व को अपवर्जित करने या उसे सीमित करने में समर्थ नहीं होगा।

(2) वाहक, नियम 17 के उपनियम (1) के अधीन उद्भूत नुकसानियों के लिए उस सीमा तक दायी नहीं होगा कि वे प्रत्येक यात्री के लिए पच्चीस लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, यदि वाहक यह साबित कर देता है कि-

(क) ऐसी नुकसानी वाहक या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं की उपेक्षा या दोषपूर्ण कार्य या लोप के कारण नहीं हुई थी; या

(ख) ऐसी नुकसानी एकमात्र रूप से तृतीय पक्षकार की उपेक्षा या अन्यथा दोषपूर्ण कृत्य या लोप के कारण हुई थी।"।

(छ) नियम 22 के उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(1) व्यक्तियों के वहन में नियम 19 में यथा-विनिर्दिष्ट विलंब के कारण हुई नुकसानी की दशा में प्रत्येक यात्री के लिए वाहक का दायित्व एक लाख रुपए तक सीमित है ।

(2) यात्री सामान के वहन में नष्ट, हानि, नुकसानी या विलंब होने की दशा में वाहक का दायित्व प्रत्येक यात्री के लिए पच्चीस हजार रुपए तक सीमित होगा जब तक कि यात्री ने उस समय जब जांच किया गया सामान वाहक को सौंपा गया था, गंतव्य स्थान पर परिदान में हित की विशेष घोषणा न की हो और किसी अनुपूरक रकम का, यदि ऐसा अपेक्षित हो

संदाय न कर दिया हो । उस दशा में वाहक घोषित रकम से अनधिक रकम का संदाय करने के लिए दायी होगा जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि रकम गंतव्य स्थान पर परिदान में यात्री के वास्तविक हित से अधिक है ।

(3) स्थोरा के वहन में नष्ट, हानि, नुकसानी या विलंब होने की दशा में वाहक का दायित्व प्रति किलोग्राम चार सौ पचास रुपए तक सीमित है, जब तक कि परेषक ने उस समय जब पैकेज वाहक को सौंपा गया था, गंतव्य स्थान पर परिदान में हित की विशेष घोषणा न कर दी हो और किसी अनुपूरक रकम का, यदि ऐसा अपेक्षित हो संदाय न कर दिया हो । उस दशा में, वाहक घोषित रकम से अनधिक रकम का संदाय करने के लिए दायी होगा जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि रकम गंतव्य स्थान पर परिदान में परेषक के वास्तविक हित से अधिक है।"।

(ज) नियम 23 का लोप किया जाएगा ।

(झ) नियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"24. नियम 25 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम 21 और नियम 22 में विनिर्दिष्ट दायित्व की सीमाएं, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनर्विलोकित की जाएंगी।"।

(ञ) नियम 33, नियम 34, नियम 46 और नियम 50 का लोप किया जाएगा।

[फा.सं.एवी-11012/9/97-ए(वाल्यू.III)]

डा. शेफाली जुनेजा, संयुक्त सचिव

MediaCode

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2019

S.O. 3129(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 8 of the Carriage by Air Act, 1972 (69 of 1972), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 142 (E) dated the 17th January, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the provisions of sub-sections (1) and (4) of Section 4A and Section 5 of the said Act and the rules contained in the Third Schedule of said Act shall apply to all carriage by air not being international carriage by air as defined in the said Third Schedule, subject to the following exceptions, adaptations and modifications, namely: —

1. In the said Act, in the Third Schedule,-

(a) for the brackets, words, figure and letter "(see section 4A)" occurring below the heading, the brackets and words "(As applicable to carriage by air not being international carriage)" shall be substituted;

(b) in rule 1, —

(i) in sub-rule (1), after the words "apply to all", the words "carriage by air, not being" shall be inserted;

(ii) sub-rule (2) shall be omitted;

(iii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

"(3) For the purposes of these rules, 'carriage by air, not being international carriage' means any carriage in which according to the agreement of the parties, the place of departure and destination are both situated in India and there is no agreed stopping place outside India.";

(iv) in sub-rule (4), the portion beginning with the words 'whether it had been agreed' and ending with the words 'within the territory of the same State' shall be omitted.

(c) For rule 2, the following rule shall be substituted, namely: —

"2. These rules shall not apply to —

(i) carriage by air in any aircraft belonging to, or exclusively employed for, the purposes of the armed forces of the Union;

(ii) carriage by air performed by the Government, whether Central or State;

(iii) carriage of mails;

(iv) carriage by air of persons performed for the purpose of training of such persons;

(v) carriage by aircraft belonging to or operated by the Civil Aviation Training Centre of the Government of India or a Club, whose main purpose is to impart training in flying or gliding, whether such aircraft is engaged in carrying persons for the purpose of training or otherwise;

(vi) carriage of cargo or persons performed for the purpose of dropping goods from aircraft;

(vii) carriage of employees of the carrier when they are carried for the purpose of performing any duties assigned to them by the carrier on the aircraft.".

(d) In rule 3, in sub-rule (1),clause (b) shall be omitted.

(e) In rule 5, clause (b) shall be omitted.

(f) For rule 21, the following rule shall be substituted, namely: —

"21.(1) For damages arising under sub-rule (1) of rule 17 not exceeding twenty-five lakh fifty thousand rupees for each passenger, the carrier shall not be able to exclude or limit its liability.

(2) The carrier shall not be liable for damages arising under sub-rule (1) of rule 17 to the extent that they exceed for each passenger twenty-five lakh fifty thousand rupees if the carrier proves that –

(a) such damage was not due to the negligence or other wrongful act or omission of the carrier or its servants or agents; or

(b) such damage was solely due to the negligence or other wrongful act or omission of a third party.".

(g) in rule 22, for sub-rules (1), (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(1) In the case of damage caused by delay as specified in rule 19 in the carriage of persons, the liability of the carrier for each passenger is limited to one lakh rupees.

(2) In the carriage of baggage, the liability of the carrier in the case of destruction, loss, damage or delay shall be limited to rupees twenty-fivethousand for each passenger unless the passenger has made, at the time when the checked baggage was handed over to the carrier, a special declaration of interest in delivery at destination and has paid a supplementary sum, if so required. In that case, the carrier shall be liable to pay a sum not exceeding the declared sum, unless it proves that the sum is greater than the passenger's actual interest in delivery at destination.

(3) In the carriage of cargo, the liability of the carrier in the case of destruction, loss, damage or delay is limited to a sum of four hundred fiftyrupees per kilogram, unless the consignor has made, at the time when the package was handed over to the carrier, a special declaration of interest in delivery at destination and has paid a supplementary sum, if so required. In that case, the carrier shall be liable to pay a sum not exceeding the declared sum, unless it proves that the sum is greater than the consignor's actual interest in delivery at destination.".

(h) rule 23 shall be omitted.

(i) for rule 24, the following rule shall be substituted, namely: —

"24. Without prejudice to the provisions of rule 25, the limits of liability specified in rules 21 and 22 shall be reviewed by the Central Government at the interval of every five years based on cost inflation index as notified by the Central Government.".

(j) rules 33, 34, 46 and 50 shall be omitted.

[F.No.AV-11012/9/97-A (Vol.III.]

Dr. SHEFALI JUNEJA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.08.29 23:02:12 +05'30'